शैलेन्द्र गर्ग **बनाम** रजनीश गर्ग आदि

अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 63 सन् 2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025 / 350

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5 अधिवक्तागण उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 9 सीपीसी पर की गई, बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 9 सीपीसी भली–भांति साबित नहीं होने पर खारिज किया जाता है। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर की गई बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अर्ज किया गया है कि राजस्व ग्राम 1 यू. पटवार हल्का केसरीसिंहपुर, भू. अ. नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 67 / 65 के मुरब्बा नम्बर 62 की कुल 3.795 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में ताफैसला वाद मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने के आदेश दिए जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी ने जानबुझकर सही तथ्यों को छुपाकर न्यायालय को गुमराह करके गलत तथ्यों के आधार पर एकतरफा स्थगन आदेश प्राप्त किया है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए खारिज फरमाया जावे। लिहाजा राजस्व ग्राम 1 यू. पटवार हल्का केसरीसिंहपुर, भू. अ. नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 67 / 65 के मुरब्बा नम्बर 62 की कुल 3.795 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 रजनीश गर्ग पुत्र सुभाष चन्द गर्ग के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अप्रार्थी संख्या 1 वादगत भूमि का अभिलिखित खातेदार है। यदि अभिलिखित खातेदार के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। अप्रार्थी संख्या 1 को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में बनना प्रतीत नहीं होते है। प्रार्थी / वादी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली–भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार / खारिज किया जाता हैं। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्रीगंगानगर) सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)	